



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 669 राँची, मंगलवार,

29 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

07 दिसम्बर, 2020

- संख्या-5/आरोप-1-149/2018-12255 (HRMS)--** श्रीमती मेघना रुबी कच्छप, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, खूँटी के विरुद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-5902 दिनांक 14.12.2018 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्रीमती कच्छप के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-
- (i) निविदा संख्या-KNP-19/2017-18 दतिया रोड से बेलाहाथी पीपल चौक तक सड़क का कालीकरण कार्य मेसर्स अमरजीत मिश्रा को आवंटित की जानी चाहिए थी, परन्तु लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त कार्य मेसर्स रवि मिश्रा को आवंटित किया गया।
- (ii) परामर्शी द्वारा त्रुटिपूर्ण डी0पी0आर0 बनाया गया एवं उक्त कार्य का पर्यवेक्षण आपके द्वारा नहीं किया गया।
- (iii) उक्त सड़क बनाने का औचित्य नहीं होने के बावजूद पथ का प्राक्कलन काल्पनिक Traffic Censes Data के आधार पर किया जाना एवं प्राक्कलन में culvert बनाने का कार्य सम्मिलित किया जाना।
- (iv) HLMC द्वारा स्वीकृत 85 लाख रु के विरुद्ध त्रुटिपूर्ण टेबुल पेपर तैयार करने के कारण डी0पी0आर0 की राशि 1.82 करोड़ रु हो जाना।
- (v) इस निविदा के निष्पादन में सरकारी नियमों की अनदेखी की गयी है।

(vi) श्रीमती रुबी कच्छप, झा0प्र0से0, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उक्त कार्य पर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा के अभाव को प्रदर्शित किया गया जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) (i)(ii)के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-665, दिनांक 23.01.2019 द्वारा श्रीमती कच्छप से स्पष्टीकरण की मांग की गई। इसके अनुपालन में श्रीमती कच्छप के पत्र दिनांक 18.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-2384(HRMS), दिनांक-28.05.2019 के द्वारा श्रीमती कच्छप के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लिया गया, एवं श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्रीमती कच्छप के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर संचालन पदाधिकारी श्री झा द्वारा पत्रांक-354 दि0 24.12.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया।

श्रीमती कच्छप के विरुद्ध आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्रीमती कच्छप के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-3531 दि0 23.07.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

श्रीमती कच्छप द्वारा अपने पत्र दि0 31.07.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित की गई है। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के मुख्य बिन्दु एवं विभागीय समीक्षा निम्नवत है:-

(i) दतिया रोड से बेलाहाथी पीपल चैक तक सड़क का कालीकरण का प्राक्कलन सर्वप्रथम नगर पंचायत कार्यालय के तकनीकी पदाधिकारी द्वारा 84 लाख का बनाया गया था, जिसे तकनीकी स्वीकृति के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची भेजा गया था। पुनः मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग द्वारा कई तकनीकी प्रावधानों को Add करने हेतु यह प्राक्कलन वापस कर दिया गया।

समीक्षा -

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, खूँटी के पत्रांक-350 दि0 03.03.2017 द्वारा संबंधित योजना का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के लिए मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया गया, किन्तु मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग द्वारा यह प्राक्कलन किन तकनीकी प्रावधानों को।कक करने हेतु वापस किया गया, इस संबंध में श्रीमती कच्छप द्वारा कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अतः साक्ष्य के अभाव में श्रीमती कच्छप का कथन मान्य नहीं है।

(ii) इस संबंध में तत्कालीन परामर्शी Mass & Void का सभी तकनीकी बारीकियाँ शामिल करते हुए प्राक्कलन बनाने का आदेश दिया गया।

समीक्षा-

मेसर्स Mass N Void Design Consultant's नई दिल्ली को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, खूँटी द्वारा प्रेषित पत्र में “सभी तकनीकी बारीकियाँ शामिल करते हुए” प्राक्कलन बनाने के स्थान पर मात्र 02 योजनाओं का डी0पी0आर0 10 दिनों के अंदर तैयार कर समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

(iii) Mass & Void द्वारा बनाये गये प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 1.82 करोड़ रु0 प्राक्कलित राशि की बढ़ोतरी करते हुए नगर पंचायत कार्यालय को नया प्राक्कलन वापस किया तथा नये प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्रांक-1370 दि0 18.10.2017, पत्रांक-1645 दि0 18.12.2017, पत्रांक-50 दि0 08.01.2019 एवं पत्रांक-130 दि0 12.02.2018 द्वारा सूचित किया गया।

समीक्षा-

श्रीमती कच्छप द्वारा अनुलग्नक-3 के रूप में दतिया रोड से बेलाहाथी तक पथ का Summary Sheet रक्षित किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किस पत्रांक एवं दिनांक द्वारा संबंधित पथ का प्राक्कलन नगर पंचायत कार्यालय, खूँटी को प्रेषित किया गया।

विभागीय जांच पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि बड़े हुए प्राक्कलन पर कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के साथ-साथ श्रीमती कच्छप का भी हस्ताक्षर है, इसलिए आरोपी को इसकी गहराई में जाना चाहिए था कि योजना का प्राक्कलन 84 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 82 लाख कैसे हो गया एवं जिन तथ्यों के आधार पर प्राक्कलन में वृद्धि हुई, वे तथ्य सही थे या नहीं।

अतः समीक्षोपरांत श्रीमती मेघना रूबी कच्छप, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, खूँटी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध इस मामले में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MEGHNA RUBY KACHCHAP 20060400044	श्रीमती मेघना रूबी कच्छप, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, खूँटी के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
